

11.06.2024 पत्राचार पेश हुई।

श्रीधिवक्ता अध्यापक इमलिन | श्रीधिवक्ता वरिष्ठा
ने आपने राके की जरिये नोटेशन खारिज करने
का निवेदन दिया।

श्रुतः श्रीधिवक्ता वरिष्ठा ने निवेदन पर राका
जरिये नोटेशन हर्षा सा पर खारिज किया
जाता है।

परवर्ती फॉर्म शुभा (बेडा नम्बर) पर
की जाकर साबित दफ्तर है। (पुनः)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रैक) सांचौर

Noted

15/2